OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF
WATER RESOURCES DEPARTMENT, BHOPAL
Email- enc.etendering.wrdmp@gmail.com
Phone& 0755-2767635/2573438 Fax- 0755-2552406

No. 4942/271/e-tendering/2018-19 Bhopal, Dated 04 April, 2019

To

All Chief Engineers/ Commissioner, CAD
Water Resources Department

Sub: Comments/ Suggestions on comments presented by Chief Engineer's for Turnkey Contracts.

Ref: This office letter no. 4913/413/271/e-tendering/2018-19 Bhopal dated 22.03.2019.

Queries/ Suggestions were invited vide above referenced letter from all Chief Engineers of MPWRD. Chief Engineer, Narmada Tapti Basin, Indore, Chief Engineer, Hoshangabad, Chief Engineer, Dhasan-Ken Basin, Sagar and Chief Engineer, Wainganga Basin, Seoni sent their valuable suggestions. You are all requested to please comment on suggestions for better outcomes for preparation of Standard Turnkey Bidding Document.

Enclosures: As above.

(Shirish Mishra)
Chief Engineer (Proc.)
Water Resources Department
Bhopal

Endt. No. /271/e-tendering/2018-19/4943 Bhopal, Dated 04 April, 2019

Copy to:-

1. Additional Chief Secretary, Govt. of M.P. Water Resources Deptt. Bhopal for information please.
2. The Engineer-in-Chief, Water Resources Deptt., Bhopal for information please.
3. Chief Engineer, BODHI, SWARA Bhawan, Water Resources Department, Kolar Tiraha, Link Road No.3, Bhopal for information please.
4. Web Manager, MPWRD for uploading on website.

(Shirish Mishra)
Chief Engineer (Proc.)
Water Resources Department
Bhopal

Departmental contractors conference on 27.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुबंधित कार्यो/नवीन प्रस्तावित कार्यो के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

1 **मुख्य अभियंता स्तर पर रिसर्च ऑफिसर एवं विधिक ऑफिसर की आवष्यकता:–**

कछारांतर्गत अनेको नवीन निर्माण कराये जा रहे है। एवं भविष्य में भी नई परियोजना बनाई जाएंगी। इन निर्माण कार्यो में उपयोग होने वाले टेस्ट के लिये किसी महाविद्यालय अथवा इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। प्रयोगषाला में साइट सेम्पल लेकर जिसमें अधिक समय लगता है।कछार स्तर पर एक रिसर्च ऑफिसर के अधीनस्थ पूरी तरह से सुव्यवस्थित प्रयोगषाला स्थापित किया जाना उचित होगा। जिसमें कछार अंतर्गत निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के कार्यो की गुणवत्ता इस प्रयोग शाला में की जा सकें। यह वह सेम्पल हो जिन्हे CE एवं SE ने अपने निरीक्षण के दौरान संकलित किये गये हों। रूटीन टेस्ट कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा स्थापित प्रयोगषाला में पूर्वतः किये जा रहे है।

- प्रदेष के सभी कछारों में न्यायालीन प्रकरण प्रचलित है, इन प्रकरणों की पैरबी के लिए समय–समय पर कछाराधीन पदस्थ संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है जिस कारण उनके अधीन निर्माण कार्यो में वे कम समय दे पाते है व उनका विधिक ज्ञान सीमित होने के कारण वे जवाब दबा प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सक्षाम नही होते है।

अतः मुख्य अभियंता स्तर पर एक विधिक ऑफिसर नियुक्त किया जाऐ जो कछार में चल रहे सारे न्यायालीन प्रकरणों को कार्यपालन यंत्रियों से रिकार्ड लेकर शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से शासन का पक्ष OIC की हैसियत से रखे।

2 **प्रेषर पाईप इरिगेषन के प्रषिक्षण के संबध में:–**

कछारांतर्गत प्रेषर पाईप माइक्रो इरिगेषन के अनेको काम निर्माणाधीन है एवं भविष्य में भी इनका बहुत स्कोप है। अतः इस परिपेक्ष्य में प्रेषर पाईप इरिगेषन की डिजाईन एवं डिस्ट्रीव्यूषन नेटवर्क को समझने हेतु सभी उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्रियों के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहियें। इसके लिये एक चैक लिस्ट व consolidated specification का परिपत्र जारी किया जाना उचित होगा।

<u>अनुबंध/निविदा संबंधित बिन्दुः–</u>

1 **कार्य की राषि एंव प्रकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि का निर्धारण :–**

वर्तमान में कार्य विभाग नियमावली एंव शासन से समय–समय पर प्राप्त संषोधनों में कार्य की राषि एंव प्रकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि का लेख नही किया गया है। कार्य की राषि को दृष्टिगत रखते हुए कार्य पूर्ण करने की अवधि प्रावधानित किया जाना चाहियें।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य की राशि एवं प्रकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि अधिकतम 18 माह का निर्धारण किया जाना उचित एवं शासन हित में होगा।

2 माइक्रो इरिगेषन तथा अन्य बडे कार्यो हेतु ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र का अनुमोदन :-

वर्तमान में रू. 200.00 लाख से अधिक कार्यो की लागत के निविदा प्रपत्र मुख्य अभियन्ता स्तर पर अनुमोदित किया जाता है। आर्दष टर्न की निविदा प्रपत्र शासन स्तर/प्रमुख अभियन्ता स्तर से अनुमोदित नही है। महालेखाकार द्वारा इस संरचनान्तर्गत अनुबंधित कार्यो में निम्नानुसार टीप दी है।

1. Non adoption of Model Standard Bid Document for Turnkey contracts

Turnkey contract was introduced with the aim to complete the work in prescribed time schedule with a lump sum price. Department should form a model standard bid document for turnkey contracts under which standard clauses of agreement should be incorporated.

During scrutiny it was observed that no model standard document was prescribed and approved by the Department to adopt the uniformity with clauses of agreement of other turnkey contracts.

उपरोक्त बिन्दु एंव माइक्रो इरिगेषन तथा अन्य वृहद अथवा मध्यम परियोजनाओं के कार्यो हेतु आर्दष ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र शासन/प्रमुख अभियन्ता स्तर से अनुमोदित किया जाना उचित होगा जिससे जल संसाधन विभाग में बडे कार्यो हेतु आमंत्रित निविदा में समरूपता रहेगी तथा पेमेन्ट शेडयूल में समस्त कार्यो का समावेष हो जावेगा। तकनीकी दृष्टिकोण से वृहद अथवा मध्यम परियोजनाओं के कार्यो के निविदा प्रपत्र के तकनीकी शर्ते एंव भुगतान की शर्तो में समानता होगी।

इसके अतिरिक्त शासन की मंषा के अनुरूप माइक्रो इरिगेषन की निविदाओं में लक्ष्य से अधिक सिचाई व्यवस्था किये जाने प्रावधान किया जा रहा है। निविदा प्रपत्र सक्षम अधिकारी से अनमोदन के पश्चात एक ही फार्मूले के आधार पर अतिरिक्त राषि का भुगतान किया जा सकेगा। टर्न की निविदा में अनुबंधित राषि तक ठेकेदार को भुगतान करने में कोई प्रतिबंध नही है किन्तु अतिरिक्त सिचाई हेतु व्यय की राषि मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता/षासन स्तर से भुगतान करने की अनुमति पृथक आदेष के माध्यम से प्रदान किया जाना उचित होगा।

3 दो करोड तक के अनुबंधों में अधीक्षण यंत्रियों को पेमेन्ट शेडयूल अनुमोदनः-

नवीन लघु सिचाई योजनाओं के बांध/नहर/बैराज/स्टापडेम जिनकी लागत रू. 2.00 करोड तक या उससे कम हो पेमेन्ट शेडयूल अनुमोदन करने हेतु अधीक्षण यंत्री को अधिकृत किया उचित होगा। साथ ही उक्त राषि तक की समयावृद्धि प्रकरण का निराकरण भी अधीक्षण यंत्री स्तर से किया जाना उचित होगा।

4 रायल्टी चार्जेस बकाया नही के संबंध में प्रमाण पत्र :-

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के पांच न्यायाधीषों की बेंच द्वारा पारित आदेषों के अनुक्रम में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग की गयी समस्त गौण खनिजों के संबंध में रायल्टी

बकाया नही है का प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। पूर्व में भी शासन के निर्देषों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम देयक के निराकरण करने के पूर्व ठेकेदार को खनिज अधिकारी से "No Royalty charges outstanding certification** प्रावधानित था। अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेषों के अनुसार उपरोक्तानुसार शर्त वर्तमान में प्रचलित निविदा प्रपत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

5 एडीषनल परफारमेन्स सेक्युरिटी की कंडिका को पुनः लागू किया जावे यानी ऐसे निविदाकार जिन्होने 10 प्रतिषत से कम निविदा के रेट डाले है से 10 प्रतिषत से अधिक जितना भी कम रेट कोड किये है का 10 से 15 प्रतिषत राषि इस मद में निविदा की स्वीकृति के पहले या अनुबंध के समय जमा करायी जाना चाहिये।

6 रूपये 5.00 करोड की लागत तक के कार्यो की निविदा टर्न की पद्धति के स्थान पर प्रतिषत/आयटम रेट पर ही आंमत्रित की जानी चाहिये।

7 लघु सिंचाई योजना में भी निविदाकार को भू–अर्जन/वन प्रकरण को तैयार करने एवं भू–अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा स्वीकृत करने में सहभागी बनाया जाना चाहिये, चूंकि विभाग में अमीन पद की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है तो यदि आवष्यक हो तो सेवा निवृत्त अमीन अथवा राजस्व पटवारियों की सेवा ली जा सके जिसका की भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जा सकता है।

8 मध्यम परियोजना की निविदा में मैदानी अमले को सुपरविजन कार्य हेतु 01 वाहन मय डीजल एवं चालक के प्रदाय करने की कंडिका को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

9 मध्यम परियोजना के वन प्रकरण को तैयार करने से लेकर स्वीकृति तक निविदाकार की सहभागी निष्चित करना चाहिये।

10 वृहद एवं मध्यम परियोजना की निविदा में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संपूर्ण सुविधा के साथ एक कम्प्यूटर सिस्टम एवं लेपटाप कार्य समाप्त होने की अवधि तक निविदाकार द्वारा स्थापित किया जाने की कंडिका जोडी जानी चाहिये।

11 यदि कोई निविदाकार प्रचलित सी.एस.आर. के 10 प्रतिषत से कम की दर कोड करता है तो उससे अतिरिक्त परफारमेन्स गारंटी के अतिरिक्त वह , निविदत्त दर पर निर्माण किस प्रकार से एवं बाजार मूल्य के आधार पर कैसे संपादित करेगा, इस संदर्भ में एक विस्तृत रेट एनालिसिस एवं प्रोग्राम प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसका सूक्ष्म परीक्षण वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाकर यदि निविदत्त दरे व्यवाहरिक प्रदर्षित होती है तो ही निविदा की स्वीकृति प्रदाय की जाना चाहिये।

12 काम्पेक्षन के साथ साथ वाटरिंग की भी व्यवस्था निविदाकार के द्वारा ही की जाना चाहिये।

(राकेष अग्रवाल)
मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग
होषंगाबाद,

कार्यालय मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर
दूरभाष: 0731-2497662, फेक्स नं. 0731-2492235 email: ce.ntb.wrd.ind@mp.gov.in

पत्र क. 68/ 4 /सा-5/ न.ता/2019 इन्दौर, दिनांक 18/3/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता (बोधी)
स्वारा भवन,
जल संसाधन विभाग,
कोलार तिराहा, लिंक रोड़ नं-3
भोपाल (म.प्र.)

विषयः-Departmental contractors conference on Dated 15-03-2019
संदर्भः-Your letter No. 38/Bodhi/Hyd/1 Misc-y/19 Bhopal dated 26-02-2019

:::::::0:::::::

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वांछित Issues/Agenda के परिप्रेक्ष्य में नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर की ओर से कुछ बिन्दु और सुझाव संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्रः-उपरोक्तानुसार।

(वाई.सी. शर्मा)
मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार,
जल संसाधन विभाग, इन्दौर

Scanned by CamScanner

Ref.: CE BODHI, Bhopal letter no 38/Bodhi/ Hyd/1 Misc-7/19 Bhopal dated 26.2.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा Issues/ agenda चाहा गया है। नर्मदा ताप्ती कछार इंदौर की ओर से कुछ बिन्दु और सुझाव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। उचित होगा यदि भविष्य में होने वाली कान्फ्रेंस के विषय का विस्तार कर, ठेकेदार से संबंधित विषयों के अलावा विभाग के अन्य आवश्यक विषयों जैसे मानिटरिंग सिस्टम, गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था और कैडर रिवीजन-स्थापना जैसे विषय को भी शामिल कर विभाग के सुझाव एकत्रित किए जाएं।

A) Issues related to Contractors

1. टर्न की निविदा का प्रारूप में
    a. एकरूपता नहीं है।
    b. यूजर फ्रेंन्डली नहीं है।
    c. Well Structured नहीं है।

    अतः टर्न की Standard Document तैयार किया जाना चाहिए।

2. वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव/ प्राक्कलन तैयार करने के लिए ना तो विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान किए जा रहे हैं और ना ही डिजाईन/ ड्राइंग, गहन/पूर्ण तकनीकी विचार के साथ तैयार की जा रही हैं। सामान्यतः गूगल अर्थ, रिमोट सेंसिंग अथवा अत्यंन्त न्यून स्थल सर्वे के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इस प्रकार तैयार किए गए तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर, निविदा राशि का निर्धारण किया जाकर टर्न-की आधार पर निविदा आमंत्रित की जा रही है। ऐसे तकनीकी प्रस्तावों को अन्तिम तकनीकी प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। अतः तकनीकी स्वीकृति **केवल टर्न-की निविदा के आमंत्रण के लिए वैध है** का रिमार्क देना उचित होना चाहिए।

3. निविदा उपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव को अगले उच्च अधिकारी से Vetting कराने के प्रावधान के संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए।

4. यदि किसी परियोजना विशेष का सर्वेक्षण, अनुसंधान और डिजाईन/ ड्रांइग विस्तार से कर लिए गए हों और निर्माण में विभागीय प्रस्ताव में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुजांइश नहीं हो, तो ऐसी परियोजना की निविदा टर्न-की आधार की बजाय लम्पसम आधार (Lump-sum basis) पर बुलाई जानी चाहिए और इसके लिए Lump-sum document जिसका

प्रारूप विभागीय मैनुअल की Appendix 2.18 में दिया गया है, में उचित संशोधन कर उपयोग में लाना चाहिए।

5. वर्तमान में चल रहे छोटे बड़े टर्न-की अनुबंधों में, ठेकेदार द्वारा विभाग के तकनीकी प्रस्ताव को परिवर्तित कर अपना नया तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। वस्तुतः टर्न की अनुबंध की शर्त में ऐसा करना मान्य भी है। ऐसा करने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव की विभागीय एस.ओ.आर. पर प्राक्कलित राशि PAC या Contract Amount से भी कम हो जाती है। ऐसे में बहुत से अधिकारियों द्वारा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाईन/ ड्राइंग को अनुमोदित नहीं किया जा रहा है अथवा ठेकेदार के Payment Schedule का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। कठिनाई यह आ रही है कि जिस अधिकारी ने निविदा आमंत्रण के पूर्व तकनीकी स्वीकृति जारी की है वही अधिकारी उसी कार्य की, कम या अधिक राशि की पुनः स्वीकृति कैसे जारी कर सकता है। इस विषय में सही कार्यप्रणाली क्या हो, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

6. टर्न की ठेकों में ठेकेदार द्वारा जो सर्वेक्षण, अनुसंधान, डिजाईन, ड्राइंग, प्राक्कलन तैयार किया जाता है उसमें विभागीय उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और कार्यपालन यंत्री की सहभागिता नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सैम्पल जांच कर सत्यता स्थापित नहीं की जा रही है। ठेकेदार को सर्वेक्षण में वही बैंचमार्क उपयोग करना चाहिए जिससे विभाग ने सर्वे किया हो। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच विभागीय सुपरविजन में नहीं कराई जा रही। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाईन/ ड्राइंग में विभागीय अधिकारी हस्ताक्षर व प्रमाणीकरण नहीं कर रहे हैं, ये कहकर कि डिजाईन ड्राइंग ठेकेदार ने तैयार की है, विभागीय अधिकारी ने नहीं। इस विषय में भी सही कार्यप्रणाली क्या हो, स्पष्ट निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

7. विभाग में वर्तमान में लगभग 11 लाख हे. से अधिक क्षेत्र के लिए Pressurized Micro Irrigation Projects वर्तमान में किसी ना किसी Stage पर हैं। कुछ परियोजनाएं सिंचाई प्रारंभ करने वाली हैं लेकिन दो बातें स्पष्ट नहीं हैं -

   a. Pressurized Micro Irrigation परियोजनाओं के Running में आने वाला विद्युत प्रभार का क्या होगा।
   b. Pressurized Micro Irrigation परियोजनाओं में लाभान्वित कृषक से सिंचाई की जलदर क्या होगी।

B) Issues related to Specifications

1. विभाग में काफी पहले तत्समय उपयोग में आने वाले कार्यों के लिए Specifications तैयार किए गए थे जिन्हें अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है। किन्तु समय के साथ बदले हुए कार्यों - Different Components of Pressurized Micro Irrigation System (Pumps, Pipe, Valves, SCADA etc., Surveying using Modern Total Station or use of Remote Sensing, GIS technology के लिए Specifications, Quality parameters, Testing requirements का Official Document नहीं है। इसके कारण केवल Copy paste द्वारा प्रत्येक निविदा प्रारूप में इसे उल्लेखित किया जा रहा है और इसमें हुई त्रुटि की संभावना बनी रहती है। अतः विभाग को Specifications के नए चैप्टर्स तैयार करने चाहिए।

C) Issues related to EIMS & IT Activity

1. विभागीय कियाकलापों की निरंतर मानिटरिंग एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी सुलभ, सुचारू रूप से उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2008 से 2012 तक EIMS विकसित किया गया और अभी भी उपयोग में है। इसे अद्यतन आवश्यकताओं के लिए Upgrade किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित दो कारणों से EIMS का वर्तमान स्वरूप कालातीत हो गया है।
    a. विभाग के कियाकलापों में से स्थापना, बजट आदि जैसे कार्यों के लिए वित्त विभाग ने सिस्टम विकसित कर दिया है।
    b. कई नई आवश्यकताएं जैसे वृहद, मध्यम परियोजनाओं की मानिटरिंग, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में स्काडा सिस्टम, सिंचाई राजस्व में GIS का उपयोग कर एप के माध्यम से सिंचाई और राजस्व का कार्य की सुविधा वर्तमान EIMS में नहीं है।
    c. संभवतः सितम्बर 2019 में EIMS का रखरखाव का अनुबंध समाप्त होने वाला है।
2. विभाग में एक Planning & Monitoring cell की नितांन्त आवश्यकता है जिसमें Remote sensing, GIS, other tools का उपयोग कर विभाग की Long term planning के अनुरूप परियोजनाओं की प्राथमिक डिजाईन तैयार की जा सके। साथ ही विभागीय गतिविधियों का Database तैयार कर राज्य में जल संसाधन की स्थिति का समग्र आंकलन किया जा सके।

D) Issues related to Establishment

1. विभाग के कियाकलापों की समग्र समीक्षा उपरान्त विभाग की Total Restructuring की आवश्यकता है।

    a. परियोजनावार, जिलेवार आगामी कम से कम 5 से 10 वर्ष की आवश्यकतानुसार मैदानी कार्यालयों का आंकलन कर स्थापना की जाना चाहिए।

    b. इसी प्रकार कार्य की आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या और नवीन पदनामों की स्थापना की जाना चाहिए।

I- Pre qualification condition:-

(1) Profitability: The applicant should have earned net profit in last at least 3 (three) years.

(2) The bidder shall not have been facing recovery proceedings from Financial Institutions or facing winding up/ Insolvency and Bankruptcy Code proceeding or those under BIFR in the last 3 financial years and up to the date of bid submission.

(3) Pre qualification should be required for the tender more than Rs. 2.0 Crores in place of Rs. 5.0 Crores.

II-Scope of work/Project formulation/Design, drawings & estimates.

The Project Formulation, design, drawing and estimates produced by Agency shall be strictly based on specifications of WRD and relevant IS Codes. Design calculation /details shall be supported with hard copy and soft copy both. Further drawing shall be in readable size in hard copy and soft copy both. Estimates based on UCSR prevailing at the time of NIT shall be submitted along with clubbing to workout various components.

III- Condition of contract:-

(1) As per E-in-C letter no. 1949/271/e-tendering/2014-15 dtd. 02.03.2015;

"Excavation of Hard rock will be paid to the contractor as per agreemented rate. The Hard Rock received from excavation and remains unutilized by the department shall be at the disposal of the contractor. The contractor may use it at the same site or may sale it to any other person or contractor. All type of taxes, Royalty and other charges if any shall be borne by the contractor. Necessary permits, pass, permissions required by the Mining act or any other act of the State Government or Central Government shall be obtained by the contractor. "

This should be considered for replacement as given below-

i- Excavation of Hard rock will be paid to the contractor as per agreemented rate.

ii- The Hard Rock received from excavation and utilised by the contractor at the same site it will be recovered at the rate Rs. 105.00 per cum (USR 01.09.2017 item no. 2.06). If tender rate is above USR the rate will be Rs. 105.00 plus above percent of tender.

iii- The Hard Rock received from excavation and remains unutilized by the department shall be at the disposal of the contractor. The contractor may use it at the same site or may sale it to any other person or contractor. All type of taxes, Royalty and other charges if any shall be borne by the contractor. Necessary permits, pass, permissions required by the Mining act or any other act of the State Government or Central Government shall be obtained by the contractor.

IV- Quality insurance:-

(1) For minor tanks Field lab should be established for Soil compaction Test/OMC/MDD and at the construction site by the contractor.

(2) For minor tanks Tests for construction material and concrete work should be done by the contractor at his own cost from recommended institutions by the Department.

(3) A well equipped laboratory for testing construction materials may be established at circle level for all medium and minor projects.

V – Payment schedule & payments

(1) In case of change of design or departure from departmental proposal by the contractor, and on recommendation by EE and SE, the components' percentage of payment schedule and their new billing break-up shall be allowed to be revised and approved by the Chief Engineer, keeping overall cost the same as quoted by bidder.

(2) Payment Schedule shall be submitted by contractor as a whole with design, drawing and estimates with clubbing statement to regulate payments of different components as decided during NIT.

VI – Timely completion

1- Time for completion of the work is generally allowed including rainy season. If the time be allowed excluding rainy season. It saves the contractor as well as department from unnecessary inconvenience.

VII – Operation and Maintenance

The defect liability period should be minimum 3 to 5 year.

VIII – Any other related issues under EPC contracts

If the bidder intends to quote his offer up to (Lumsum) 10% or more below the estimated cost put to tender, then he should submit additional demand draft/ Bank guarantee with his bid amounting to 1% of the estimated cost of the department towards performance security and scanned copy of demand draft/ Bank guarantee shall be uploaded in envelop No. 2.

(R.K.Shrivastava)
Chief Engineer
Wainganga Basin WRD Seoni

Departmental Contractor's Conference -Dated 27.03.2019

(1) Tender document volume II :

Suggestion 1:

In major and medium projects at least minimum survey work should be allowed before submission of DPR to ensure capacity and submergence and to establish FTL line on the ground so that forest and LA cases can be expedited. Further if there is any mass resistance in the submergence against the project, it can be resolved and unnecessary hindrance in project implementation can be avoided.

Suggestion 2:

In major dams agencies are opting for extreme left or right side spillway to save considerable concrete quantities, though suitable foundation is available at adequate depth in river bed or at adjoining banks.

So it is suggested that in major dams it should be made mandatory that central spillway is must unless until suitable foundation is not available upto 1.4 times the proposed departmental foundation depth at river bed.

Suggestion 3:

In the combined tender of unit-I & unit-II, both the works should be taken up simultaneously , as the final completion and running of pressurized pipe network will take more time than unit-I.

Suggestion 4:

Agreement Clause

106 PAYMENT SCHEDULE:

106.6 Contractor whose price bid has been accepted shall be required to submit component wise detailed schedule of payment, based on and limited to the provisions shown in schedule of Payment Appendix F. This detailed schedule of payment shall be got approved from **Project Director / Chief Engineer ----------.**

Suggestion:

106.6 Contractor whose price bid has been accepted shall be required to submit component wise detailed schedule of payment after survey, investigations and

approval of all pertaining design and drawings. After that Payment schedule component's percentage can be revised only once , keeping overall agreemented cost unchanged. This detailed schedule of payment shall be got approved from Project Director / Chief Engineer ----------.

Suggestion 5:

Agreement Clause

1.1.2 The bidder may change the dam site location by 200 meters on upstream / downstream of the site fixed by the department Or he may choose multiple locations & multiple dams maximum 2 nos subject to the fulfillment of following requirements:-

Present Status –

Though by 200 meters it means upto 200m on U/S or D/S of the dam axis fixed by the department , but if it is replaced by upto 200 meters it will not create any doubt .

Further some agencies proposed new dam axis even within departmental proposed dam seat with some minor shifting of dam axis by 15 to 25 metres.

Suggestion :

1.1.2 The bidder may change the dam site location upto **200 meters** on upstream / downstream of the site fixed by the department with minimum shifting beyond U/S or D/S toe of dam seat as proposed by department. Or he may choose multiple locations & multiple dams maximum 2 nos subject to the fulfillment of following requirements:

Suggestion 6:

Some issues relating to Unit-II can be considered during discussion to ensure good quality and workmanship –

1. Layout for work should be given only after ensuring that field laboratory is established by the contractor.
2. After laying pressure testing of 600mm dia and below pipe should be done in field in such a way that the time, location and pressure are recorded automatically and back filling should be done only after approval by Engineer-in-charge.

3 Control room should be established with mains and distribution work and SCADA work should be taken up simultaneously with micro network to ensure timely completion and running of whole system.

Note on Issues & Suggestion on EPC Contract Document

1. The Name of Work shall be kept Brief such as "Engineering, Procurement and Construction (EPC) work of ---------- Project Piped Distribution Network to Irrigate -------- Ha. of Culturable Land in ------Tahsil, ------ District-------- with operation, monitoring and maintenance for five years". Since, details are shown in "Scope of Work"
2. Scope of Work –
   a) Planning & designing of any irrigation system involve collection of agriculture statistics of the earmarked GCA, evolving proposed cropping pattern, determining irrigation water requirement as per standard methodology, determining rotation of period and extent of each watering etc, but these parameters have been fixed for all projects contrary to their location in different climatic xone. However, minimum discharge in liters/sec/ha shall be provided.
   b) The description in scope of work shall provide full planning and design flexibility within standard technical parameters (as per IS codes, circulars and other references cited in tender document).

      It has been observed that the scope of work described in some tender documents (such as Dargarh Project in Mandla) restrict velocity in mains as 1.33m/sec or thickness of pipe of any sixe as minimum 6mm. Such, restrictions shall be avoided.

   c) The branches from main line shall have SCADA point to control and monitor discharge, velocity and pressure.
   d) It must be clearly mentioned that the ultimate beneficiaries of the project are WUA's, thus the planning of pipe network shall be done as per WUA formation on hydraulic boundary basis. Pipe Network shall be easily adopted by WUA bodies and farmers/ stakeholders.
   e) Control and monitoring devices shall be provided in pipe network for each WUA.

f) Scope of work shall include capacity building of farmers for improved crops and market linkages during operation and maintenance period.

g) Primary filters with self cleaning mechanism for main/branch line of specific discharge capacity shall be provided.

h) Secondary, online Hydraulically operated screen filters with self cleaning mechanism at 15 ha chak, having suitable discharging capacity.

3. Pre- Qualification Criteria- At RFQ stage bidders financial, technical and capability with previous experience are main parameters which have to be examined to ensure his competency. Pre –qualification criteria adopted at present and suggested are discussed below:-

Sl. No.	Present Criteria	Comments & suggestions
	Financial	
1	Average annual turn over shall not be less than 1/3 of tendered amount.	EPC contracts for Piped network system generally involve 70% to 80% procurement. High turn over capacity is needed. Previously, for all civil work the annual turn over provided had been ½ of tendered amount, therefore, now there is no question of lowering it down. Thus, annual turnover shall be between 50% to & 75% of annual turnover, in any of previous five financial year, with 10% weightage per year.
2	Networth – 10% of tendered amount.	As per Ministry of Finance GoI Model EPC criteria , Net worth shall be 25%.
3.	Shall not incurred loss in previous three years	No comments, its already covered under Net Worth.
4	Bid Capacity- 1.5 (AxB)-C	If, annual turn over is

		considered to increase, then factor 1.5 shall be changed to 2.
	Physical	
1	Water conveyance system of MS/DI pipe	1.To include experience of water & sewage works which involve use of PSC Pipes to this grade shall also be included 2. Moreover, length of HDPE pipes involved in execution of irrigation pipe network is much large, hence its experience shall also be included.
2.	New canal/ pipe network completion .	Previously, experience contractors for pipe irrigation network were not available, thus, experience of similar job like new canal had been included. Now, this criteria is not needed, since many contractors are executing pipe irrigation network and this experience is covered under item 1.
3	Experience of constructing new reservoir.	Not needed as explained above.
	Technical	
	This provides to asses capability of bidder to plan, design and execute, operate and maintain irrigation pipe network.	At RFQ stage, it is not expected that bidder shall asses full topographical and demographical features and submit complete planning and design, since it involve comparatively large expenses. Thus, a sample planning of about 500 Ha located at tail reach of network may be sufficient to asses bidders

		technical capability.
	Condition of Contract	
	Change in scope of work – No provision in condition of contract.	It has been observed that the DPR prepared by department is generally based on an assumed ratio of GCA/ CCA. Detailed surveys are being conducted during contract period and data collection of culturable land under GCA earmarked. Generally, in most of the project variation in CCA has been observed, but contract conditions do not provide for any change in scope of work. Niti Ayog, GoI has prepared an EPC contract document which provides for change in Scope of Work. Under the guidelines and provisions made in this document suitable provision shall be incorporated in contract conditions.